"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2017 — चैत्र 17, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-12/2017/ वाक (आब)/पांच (27). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

   (1) नियम 3 (ख) के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप सी. एस. 2 (घघ) तथा प्रारूप एफ. एल. 1 (घघ) में शब्द समूह लायसेंसधारी का नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता : 1. श्री .... आ. .... नि. .... के स्थान पर लायसेंसधारी का नाम एवं पता : 1. नाम .... पता. .... प्रतिस्थापित किया जाता है.

   (2) नियम 14 के उप नियम 14 (1) के खण्ड (7) एवं उप नियम 14.4 के खण्ड (9) में शब्द समूह सदस्य सचिव - जिला प्रबंधक (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) के स्थान पर सदस्य सचिव - जिला महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंधक/ (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.